**International Research Journal of Human Resource and Social Sciences**
**ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)**
**Impact Factor 6.924 Volume 11, Issue 01, Jan 2024**
**Website**- www.aarf.asia, **Email** : editoraarf@gmail.com

# मानवाधिकार संरक्षण कानून का जनजातीय महिलाओं पर प्रभाव

**प्रतापसिंह कटारा**
**व्याख्याता–भूगोल**
**बाई भाबरी महाविद्यालय, चांदरवाड़ा**

मानव इतिहास के सम्पूर्ण काल में सभी समाजों और संस्कृतियों में कुछ ऐसे अधिकार और सिद्धान्त लागू रहे है जिनका न केवल सम्मान किया जाता था बल्कि उनका संरक्षण भी किया जाता था। इसी आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर  मानवाधिकारों की आवाज बुलंद हुई। प्रत्येक मनुष्य को इन अधिकारों के उपयोग और संरक्षण का अधिकार है। भारत में कानूनी तौरपर स्त्री–पुरूषों को समानाधिकार प्राप्त हैं देश के विकास में मजबूत ओर प्रभावी शक्ति बनाने के लिए महिलाओं को आर्थिक–सामाजिक दृष्टि से अधिकार सम्पन्न करना जरूरी है। महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए सर्वप्रथम उन्हें विकास के बारे में जाग्रत करना होगा। जनजातीय महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए उन्हें शिक्षित और जागरूक करना होगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह जिस समाज और समुदाय में जन्म लेती है, उस समाज और समुदाय की उसके बारे में धारणा स्वस्थ वातावरण पर आधारित होनी चाहिए।

भारतीय समाज की जटिल और कठोर जाति व्यवस्था में फंसी नारियों की तुलना में जनजातीय समुदायों की महिलाओं का दर्जा व रूतबा कहीं अधिक सम्मानजनक और सशक्त है परन्तु जनजातीय महिलाओं का दर्जा अपने समुदायों के पुरूषों से कम नहीं है। शहरी समाज के सम्पर्क के कारण सामाजिक समानता में हाल में कमी हुई है। जो जनजातियां शिक्षा के प्रसार, औद्योगिकरण और आधुनिक रहन–सहन तथा हिन्दुत्व की सामाजिक कुप्रथाओं से प्रभावित होती जा रही है, उनमें महिलाओं की प्रतिष्ठा और सामाजिक सत्ता कम होती जा रही है।

जनजातीय समुदायों में सामाजिक जीवन की तरह आर्थिक गतिविधियों में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। खेती में बराबर की हिस्सेदारी के साथ–साथ वे परिवार को चलाने में भी भरपूर योगदान करती ह। अन्य महिलाओं की तरह वे खाना पकाने, सफाई चौका आदि सामान्य घरेलू काम संभालने के साथ–साथ पानी भरने, मवेशी पालने, ईंधन तथा वन उत्पाद एकत्र करने का जिम्मा भी उठाती

**© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)**
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

है। कृषि कार्य में बुवाई और कटाई का काम महिलाएं ही संभालती है। मुख्यधारा से कटे रहने के कारण जनजातीय समुदाय में शिक्षा प्रचार का काम काफी देर से शुरू हो पाया है। महिला साक्षरतादर न्यूनतम है।

मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एवं संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मेलनों, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् एवं महासभा के अधिवेशनों में मानवाधिकार के मुद्दों पर सक्रिय रूप से भाग लिया है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 में मानव अधिकारों के उल्लंघन सम्बन्धी शीघ्र सुनवाई उपलब्ध कराने के लिए मानव अधिकार न्यायालय अधिसूचित करने की परिकल्पना की गई है। आन्ध्रप्रदेश, असम, सिक्किम, तमिलनाडू और उत्तरप्रदेश में इस प्रकार के न्यायालय स्थापित किए जा चुके है। जब से मानवाधिकार संरक्षण कानून बना है और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ है, नारी की स्थिति समाज में और अधिक सुदृढ़ होने लगी है। अब महिला उत्पीड़न की घटनाओं में भी अपेक्षाकृत कमी आई है।

वर्तमान में महिलाएं कर्मक्षेत्र में आगे आई है। वे विभिन्न सेवाओं मे कदम रखने लगी है। कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ने लगा है। भारतीय दंड संहिता 1860 में भी महिलाओं के विरूद्ध कारित उपराधों के लिए कठोर दंड की व्यवस्थाएं की गई है। धारा 354 में स्त्री लज्जा भंग, धारा 366 में अपहरण, धारा 376 में बलातसंग, धारा 498–क में निर्दयतापूर्ण व्यवहार तथा धारा 509 व 410 में स्त्री का अपमान करने को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। सती निवारण अधिनियम 1957 में सती प्रथा के निवारण हेतु कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है।

महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों में संविधान के अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में महिलाओं को भी समान अवसर प्रदान करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। महिलाओं को मात्र महिला होने के नाते समान कार्य के लिए पुरूष के समान वेतन देने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 18 स्त्रियों को सम्पति में मालिकाना हक प्रदान करती है। श्रम कानून महिलाओं के लिए संकटापन्न यंत्रों तथा रात्रि में कार्य निषेध करते है। मातृत्व लाभ अधिनियम कामकाजी महिलाओं को प्रसूति लाभ की सुविधाएं प्रदान करता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 में उपेक्षित महिलाओं के लिए भरण पोषण का प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार कुल मिलाकर नारी विषयक मानवाधिकारों को विभिन्न विधियों एवं न्यायिक निर्णयों में पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया है। बदलते परिवेश में संविधान में 12वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 क (ड.)

के अन्तर्गत नारी सम्मान को स्थान दिया गया है और नारी सम्मान के विरूद्ध प्रथाओं का त्याग करने का आदर्श अंगीकार किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग नारी सम्मान की रक्षार्थ सजग एवं सतत प्रयासरत है।

बीसवीं सदी को नारी जागृति का काल कहा जा सकता है। 19वीं सदी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुधार के प्रणेताओं–संत मावजी महाराज, गोविन्दगिरी, संत सुरमालदास आदि के प्रयासों से क्षेत्र की जनजातीय महिलाआ में जनजागृति का संचार हुआ तथा देश में समाज सुधारकों के प्रयासों से स्त्री समाज में जागृति आई। हर क्षेत्र में सुधार प्रारंभ हुए। फलतः स्त्रियों ने सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में अपेक्षाकृत संतोषजनक उन्नति की। बाल विवाह और दहेज गैर कानूनी घोषित किये गये। विधवा–विवाह को कानूनी अनुमति मिली। सन् 1955 के हिन्दू विवाह कानून द्वारा बहुविवाह गैर कानूनी घोषित हुआ एवं स्त्री–पुरूष दोनों को तलाक देने की अनुमति मिली। हिन्दू–उत्तराधिकार कानून द्वारा 'स्त्रीधन' पर स्त्री को अधिकार मिला। 1961 ई. में दहेज–निवारण कानून बना। 1986 में उसी में संशोधन करके दहेज को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इन कानूनों से सामाजिक क्षेत्र में अत्यधिक सुधार हुए।

बीसवीं शताब्दी में नारी सशक्तीकरण हेतु अनेक प्रयास किये गये। महिलाएं इससे लाभान्वित भी हुई है। उन्होंने सभी क्षेत्रों में आशातीत प्रगति की। तथापि आज भी बहुत अधिक संख्या में महिलाएं गरीब है, अनपढ़ है। उन्हें न तो अपने अधिकारों का ज्ञान है और न ही उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का। दरअसल, सशक्तीकरण की आवश्यक शर्ते है – शिक्षा और आर्थिक आत्म निर्भरता, लेकिन समाज की रूढ़िवादिता उसके मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। आज जनजातीय महिलाओं के पिछड़ेपन के कई कारण है जिनमें से एक बड़ा कारण उनका अशिक्षित होना और समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियां होना है।

सामाजिक, सांस्कृतिक जनजागरण के क्षेत्र में मावजी महाराज, गोविन्दगिरी एवं सुरमालदास के प्रेरणादायी कार्यो ने जनजातीय महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में भी संलग्न रहने का संदेश दिया जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक जीवन की तरह आर्थिक गतिविधियों में भी स्त्रियों की भागीदारी बढ़ी। पिछले कुछ दशकों में गैर जनजातीय समुदायों के बढ़ते प्रभाव के कारण आए कुछ परिवर्तनों के बावजूद जनजातीय महिलाएं अपने समुदाय के आर्थिक जीवन में विशेषकर भूमिका निभा रही है। खेती में बराबर की हिस्सेदारी के साथ–साथ वे परिवार को चलाने में भी भरपूर योगदान करती है।

सीमित कृषि योग्य भूमि, असमय और अपर्याप्त वर्षा, सिंचाई के साधनों की कमी, उन्नत किस्म के बीजों तथा रासायनिक खादों तथा बिजली का समय पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होना, परिवार में

आर्थिक तंगी, बैकों से ऋण मिलने की लंबी एवं जटिल प्रक्रिया, गर सरकारी ऋणदायी संस्थाओं की ऊँची ब्याज दरें एवं बिचौलियों द्वारा धोखाधड़ी आदि महिलाओं के आर्थिक विकास के रास्ते में आने वाली गंभीर समस्याएं है। इनके अतिरिक्त पुरूषों की तुलना में महिलाएं उत्पादन कार्यो में लगे रहने के कारण खेती के लिए पर्याप्त समय का अभाव, शिक्षा की कमी के कारण तकनीकी ज्ञान समझने में दिक्कत और आवास प्रबन्धन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

1– नारी समाज का एक अभिन्न अंग है चाहे वह जनजातीय हो या गैर जनजाति। अतीत से ही नारी का समाज से सर्वोपरी स्थान रहा है। उसे सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। परन्तु गत वर्षो में महिलाओं के मानवाधिकारों में जितना उल्लंघन हुआ है शायद पहले कभी नहीं हुआ।

2– सदियों से जनजातियां दूरवर्ती तथा अलग–अलग क्षेत्रों में रहती आयी है। मानवाधिकार संरक्षण के बारे में अनभिज्ञ है। क्योंकि जनजातीय समाज के महिला वर्ग में शिक्षा का अभाव है। जनजातीय क्षेत्रों के विकास तथा वहां की आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए शिक्षा का प्रचार एवं मानवाधिकार कानून तथा संवैधानिक कानूनों का प्रचार–प्रसार अत्यन्त आवश्यक है।

3– महिलाओं के प्रति हिंसा विश्वव्यापी घटना बनी हुई है जिससे कोई भी समाज एवं कोई भी समुदाय भूल नहीं सकते चाहे वो जनजातीय समाज ही क्यों न हो। महिलाओं के प्रति भेदभाव इसलिए विद्यमान है क्योंकि इसकी जड़े सामाजिक प्रतिमानों एवं मूल्यों में जमी हुई है और वे अंतर्राष्ट्रीय करारों के परिणाम स्वरूप परिवर्तित नहीं होते है। वैसे तो महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के कारणों को समाप्त किये बिना उसका पूर्ण निदान संभव नहीं।

4– जनजातीय समाजमें सामान्यतः मानवाधिकारों के प्रति आम जनता में जागरूकता का अभाव सा परिलक्षित होता है फलतः शोषण, अन्याय, उत्पीडन, अत्याचार लोगों के अधिकारों का हनन आदि समान्य रूप से प्रचलित है।

5– वर्तमान में जनजातीय महिलाएं समाज व राज्य की विभिन्न गतिविधियों में पर्याप्त सहभागिता कर रही है, परन्तु इससे उनके प्रति घरेलू हिंसा के अलावा कार्यस्थल पर, सड़कों पर, हाट–बाजारों में, सडकों एवं सार्वजनिक यातायात के माध्यमों में व समाज के अन्य स्थलों पर होने वाली हिंसा में वृद्धि हुई है।

6– मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने भेदभाव को न करने के सिद्धान्त की अतिपुष्टि की थी और घोषित किया था कि सभी मानव स्वतंत्र पैदा हुए है आर गरिमा एवं अधिकारों में समान है तथा सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के, जिसमें लिंग पर आधारित भेदभाव भी शामिल है सभी

अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के हकदार है फिर भी महिलाओं के विरूद्ध अत्यधिक भेदभाव होता रहा है।

शहरीकरण और भूमंडलीकरण के दौर में जनजातीय महिलाओं के परम्परागत अधिकार कम होते जा रहे है। औद्योगिक और शहरीकरण से उनकी जमीन एवं वनक्षेत्र में कमी हो रही है जिससे उनके जीवन यापन के स्रोत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वनों की कटाई होने से महिलाओं को ईधन एवं वन उत्पादों क लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है। यहीं नहीं वन स्रोत घट जाने से महिलाएं अधिक निर्धन एवं पराश्रित बनती जा रही है। जनजाति लोगों का शोषण भी बढ़ रहा है। अबोध और अशिक्षित होने के कारण उनके श्रम संबंधी शोषण के साथ–साथ शारीरिक शोषण भी किया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का नितान्त अभाव है। अशिक्षा के कारण वे मानवाधिकार एवं अपने पक्ष में बनाये गये कानूनों को नहीं समझ पाती और वन उत्पादों पर अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती।प्रत्येक स्थल व प्रत्येक प्रकार की महिला विरोधी हिंसा के लिए समाज और राज्य दोनों को ही अपना नैतिक एवं विधिक उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। व्यावहारिक स्वरूप यही मांग करता है कि एक ऐसी सामाजिक पहल हो जिससे महिलाओं के प्रति पूरे समाज की सोच बदले।

**संदर्भ ग्रन्थ सूची–**


1. मौर्य शैलेन्द्र (2011) '' महिला राजनैतिक नेतृत्व एवं महिला विकास'' पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर
2. सिंह, राजबाला एवं सिंह, मधुबाला (2006) '' भारत में महिलाएं'' आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर
3. महीपाल (2002) ''पंचायतों में महिलाएं, सीमाएं और संभावनाएं'' सारांश प्रकाशन, दिल्ली।
4. कौशिक, आशा (संपा.) (2004) '' नारी सशक्तीकरण : विमर्श एवं यथार्थ, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर
5. मौर्य, शेलेन्द्र (2007) '' राजस्थान में महिला विकास प्रारंभ से आज तक'' राजस्थानी साहित्य संस्थान, जोधपुर
6. व्यास, रामप्रसाद (संपा) (2009) '' भारतीय नारी : परिवर्तन एवं चुनौतियां'' राजस्थान ग्रन्थागार, जोधपुर
7. श्री वास्तव, सुधारानी (2003) '' भारत में मानवाधिकार की अवधारणा'' अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
8. सुदर्शन, शैण्डे हरिदास रामजी (2008) '' महिला अधिकार और शिक्षा'' ग्रन्थ विलास, जयपुर

9.भट्ट, नीरजा (2007) '' 18वीं व 19वीं शताब्दी में राजस्थान का भील समाज'' हिमांशु पब्लिकेशन्स उदयपुर

10. भाणावत, महेन्द्र (1993) ''उदयपुर के आदिवासी'' भारतीय लोक कला मण्डल उदयपुर

11- दोषी, शम्भुलाल एवं व्यास, नरेन्द्र एन (1992) ''राजस्थान की अनुसूचित जनजातियाँ'' प्रथम संस्करण हिमांशु पब्लिकेशन्स, उदयपुर

12. जैन, संतोष कुमारी (1981) ''आदिवासी भील–मीणा'' साधना बुक्स–6 सिवाड एरिया अजमेर रोड, जयपुर